संख्या 32, लो0नि0–1/2004–03(प्रा.आ.)/2004

प्रेषक,

टी. के. पंत,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 5 जनवरी, 2004

विषयः जनपद पौड़ी विधान सभा क्षेत्र बीरोंखाल में टोटाबांज–हिन्दाउ–ढिरवाणी मल्ली–भरपूर–भत कन्डाई–थापला मल्ला/तल्ला भमराखोली–कसाणी–ह्लाड सैंधार–भरोलीखाल मोटर मार्ग का नव निर्माण की प्रशासकीय तथा वितीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 5976/265(गाड)–उत्तरांचल/03 दिनांक 06–01–2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु शासन को उपलब्ध कराये गये आगणन लागत रु0 69.50 लाख (रुपये उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र) के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी, इतनी ही धनराशि के आगणन की प्रशासकीय एवं वितीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रश्नगत कार्य हेतु रु0 1.00 लाख (रुपये एक लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियंता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियंता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भू–गर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थलि आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाय।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

........2

10- कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण ऐजन्सी/अधिशासी अभियंता का होगा। समयबद्ध रुप से कार्य करने हेतु सम्बन्धित अधिकारी / निर्माण ऐजेन्सी से अनुबन्ध कर पैनल्टी क्लास लगाये जाने पर विचार कर सकते है।

11- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31-3-2004 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जाय।

12- आगामी किस्त तब ही अवमुक्त की जायेगी जब स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

13- कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2003-04 में अनुदान संख्या-22 के लेखा शीर्षक -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय -04 जिला तथा अन्य सड़कें -आयोजनागत -800 -अन्य व्यय -03 राज्य सेक्टर -02 नया निर्माण कार्य -24 वृहत निर्माण कार्य की मद के के नामे डाला जायेगा।

14- यह आदेश वित्त अनुभाग-3 के अ0शा0 संख्या 2709 वित्त अनुभाग-3/2003 दिनांक 3 फरवरी, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।

संख्या: 33, (1)लो0नि0-1/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तरांचल, इलाहाबाद/देहरादून।
2. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौड़ी।
3. श्री एल.एम. पंत, अपर सचिव वित्त (बजट अनुभाग), उत्तरांचल शासन।
4. मुख्य अभियंता स्तर-2, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।
5. जिलाधिकारी/ कोषाधिकारी, पौड़ी।
6. निजी सचिव, मा0 मुख्य मंत्री जी को मा0 मुख्य मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
8. अधीक्षण अभियंता, 36वाँ वृत्त लो.नि.वि., पौड़ी।
9. वित्त अनुभाग-3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तरांचल शासन।
10. लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी. के. पंत)
उप सचिव।